न्यायालय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – **श्रीमती संयोगिता** (आर.जे.एस)

रे.फौ. प्रकरण संख्या – 1192/2024 (CIS No. 1192/2024)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 61/2024 पुलिस थाना–हथुनिया

राजस्थान राज्य **बनाम** **श्रीमती कारीबाई वगैरह**

अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 506 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता

भाग–प्रथम

A

परिवादी	शांतिबाई पत्नी गबुर, उम्र–48 वर्ष, निवासी–भणावदा, पुलिस थाना–हथुनिया, जिला–प्रतापगढ़ (राजस्थान)
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण का नाम व पता	01. **श्रीमती कारीबाई पत्नी गबुर,** तत्समय उम्र–53 वर्ष, निवासी–भणावदा, पुलिस थाना–हथुनिया, जिला–प्रतापगढ़ (राज.) 02. **श्रीमती मधु पत्नी मांगीलाल,** तत्समय उम्र–28 वर्ष, निवासी–भणावदा, पुलिस थाना–हथुनिया, जिला–प्रतापगढ़ (राज.) 03. **श्रीमती गुड्डी पत्नी वरदीचंद,** तत्समय उम्र–26 वर्ष, निवासी–भणावदा, पुलिस थाना–हथुनिया, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री राकेश कुमावत व श्री गजेन्द्र सिंह
अभियोजन अधिकारी	श्री नारायणलाल मईडा
अधिवक्ता परिवादी	–

B

अपराध की दिनांक	04.05.2024
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	30.06.2024
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	17.10.2024
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	17.10.2024
साक्ष्य प्रारम्भ करने की दिनांक	06.12.2024
साक्ष्य अभियोजन समाप्त किये जाने की	05.03.2026

दिनांक	
बयान मुल्ज़िम लेखबद्ध किये जाने की दिनांक	16.03.2026
बहस अंतिम की दिनांक	09.06.2026
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	--
निर्णय दिनांक	10.06.2026

C – अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 468 BNSS (पूर्ववर्ती 428 CrPC) के उद्देश्य के लिये अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
1.	कारीबाई	पुलिस जमानत पर	17.10.2024	341, 323, 506 सपठित धारा 34 IPC	**दोषसिद्ध**	परिवीक्षा का लाभ दिया गया।	--
2	मधु	पुलिस जमानत पर	17.10.2024	341, 323, 506 सपठित धारा 34 IPC	**दोषसिद्ध**	परिवीक्षा का लाभ दिया गया।	--
3	गुड्डीबाई	पुलिस जमानत पर	17.10.2024	341, 323, 506 सपठित धारा 34 IPC	**दोषसिद्ध**	परिवीक्षा का लाभ दिया गया।	--

भाग – द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहन की सूची

अ–अभियोजन गवाह (PW)

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, फर्द दस्तयाब, फर्द जब्ती, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, अन्य गवाह)**
PW 1.	डॉ. विनोद मीणा	चिकित्सकीय साक्षी
PW 2.	श्रीमती शांतिबाई	एफ.आई.आर. कर्ता साक्षी
PW 3.	देवीलाल	वाकियाती साक्षी
PW 4.	राजु	वाकियाती साक्षी

PW 5.	भंवरलाल	वाकियाती साक्षी
PW 6.	श्रीमती मथुरीबाई	चश्मदीद साक्षी
PW 7.	श्रीमती रामकन्या	चश्मदीद साक्षी
PW 8.	मनोहर सिंह	रिकॉर्ड की ताईदी का साक्षी
PW 9.	नरपाल सिंह	अनुसंधानकर्ता साक्षी

ब—बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, फर्द दस्तयाब, फर्द जब्ती, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, अन्य गवाह)
——	——	——

स—न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, फर्द दस्तयाब, फर्द जब्ती, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, अन्य गवाह)
——	——	——

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ—अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
01	प्रदर्श पी— 1	मेडिकल मुआयना बाबत् जारी तहरीर
02	प्रदर्श पी— 2	चोट प्रतिवेदन शांतिबाई
03	प्रदर्श पी— 3	एक्स—रे रिक्वीजीशन रिपोर्ट
04	प्रदर्श पी— 4	परिवाद
05	प्रदर्श पी— 5	चाक एफ.आई.आर.
06	प्रदर्श पी— 6	नक्शा मौका
07	प्रदर्श पी— 7	पुलिस बयान मथुरी
08	प्रदर्श पी— 8	पुलिस बयान रामकन्या
09	प्रदर्श पी— 9	शांतिबाई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांकित 04.05.2024
10	प्रदर्श पी— 10	इस्तगासा संख्या 10/2024 पुलिस थाना हथुनिया की प्रतिलिपि

11	प्रदर्श पी–	11	रोजनामचा विवरण दिनांकित 07.06.2024
12	प्रदर्श पी–	12	परिवाद श्रीमती शांतिबाई की सत्यप्रतिलिपि चाहने बाबत् जारी तहरीर

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
––	––	––

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर		विवरण
––	––		––

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नम्बर		विवरण
––	––	––	––

निर्णय दिनांक 10.06.2026

01– हस्तगत प्रकरण का उद्भव पुलिस थाना धमोतर द्वारा अभियुक्तगण कारीबाई, मधु व गुड्डी के विरूद्ध धारा 341, 323, 506/34 भारतीय दंड संहिता के अपराधों में आरोप पत्र दिनांक–17.10.2024 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर हुआ। तत्पश्चात् प्रकरण में अग्रिम विचारण किया जाकर इस निर्णय द्वारा हस्तगत प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।

02– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं, कि दिनांक 10.06.2024 को प्रार्थिया शांतिबाई ने एक टाईपशुदा परिवाद इस न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रार्थिया के पति गबुर ने दो शादियां की है, जिसमें कालीबाई और वह है। उसके पति का दिनांक 01.06.2023 के स्वर्गवास हो गया तथा प्रार्थिया व उसका पुत्र रोहित रामगढ़ में निवास कर हैं। प्रार्थिया ने गबुर जी की दूसरी पत्नी से कहा कि जमीन व जायदाद में उसका भी हिस्सा है तो कालीबाई व उसके पुत्र मांगीलाल व वरदीचंद ने हामी भर ली और कहा कि जब भी वे गाँव भाणावदा आयेंगे, पांती कर लेंगे। दिनांक 04.05.2024 को प्रार्थिया व उसका पुत्र रोहित गाँव भणावदा गये तो दिन में करीब 11.30–12.00 बजे मुल्जिमान कालीबाई, मांगीलाल, वरदीचंद, मधु, गुड्डी उसके ऊपर आ पड़े और मारपीट करने हेतु आमादा हुये। मधु व गुड्डी ने उसका हाथ पकड़ लिया व कालीबाई ने उसके साथ मारपीट की। घर के अंदर से मांगीलाल व वरदीचंद कुल्हाड़ी व लठ्ठ लेकर आये और कालीबाई ने उसके सर में कुल्हाड़ी की मारी, जिससे खून बहने लगा और वह मौके पर बेहोश हो गई। उसका पुत्र रोहित जान बचाकर भागा

और उसके भाईयों व रिश्तेदारों को फोन किया। मौके पर उसका भाई राजुलाल, भतीजा भंवरलाल, देवीलाल व अन्य लोग आ गये। ...आदि–आदि।

03– उक्त परिवाद को धारा 156(3) द.प्र.सं. के तहत अनुसंधान करने एवं प्रकरण दर्ज करने हेतु पुलिस थाना हथुनिया को प्रेषित किया गया, जिसके आधार पर पुलिस थाना हथुनिया पर प्रकरण संख्या 61/2021 अपराध अन्तर्गत धारा 143, 341, 323, 506 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद सम्पूर्ण अनुसंधान अभियुक्तगण कारीबाई, मधु व गुड्डी के विरूद्ध धारा 341, 323, 506/34 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जिस पर अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया एवं प्रकरण नियमित फौजदारी दर्ज रजिस्टर किया गया।

04– बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा 341, 323, 506 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अपराध की विशिष्टियां पृथक से विरचित कर सुनायी व समझायी गयी तो अभियुक्तगण ने सुन समझकर आरोप से इंकार किया और अन्वीक्षा चाही।

05– साक्ष्य अभियोजन में परीक्षित गवाहान् की सूची एवं प्रदर्शित दस्तावेजों का विवरण उपर्युक्तानुसार भाग–द्वितीय की तालिका में अंकित किया गया है।

06– अभियुक्तगण के बयान मुल्जिम अंतर्गत धारा 351 BNSS/313 Crpc के तहत लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने गवाहान् द्वारा झूठे कथन करना और स्वयं को निर्दोष होना बताकर प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा का अवसर समाप्त किया गया।

07– बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होने का कथन करते हुये अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत खण्डन में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा कि प्रकरण के किसी भी गवाह ने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नही होते है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

08– उभय पक्षकारों के तर्को पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निर्णय के लिये विचारणीय बिन्दु निम्नांकित हैः–

(1) क्या अभियुक्तगण ने साथ मिलकर दिनांक 04.05.2024 को करीब 11.30–12.00 बजे गाँव भणावदा में परिवादिया शांतिबाई एवं उसके पुत्र रोहित को स्वेच्छया रोककर, उनका सदोष अवरोध कर उन्हें उस दिशा में आगे बढ़ने से रोका, जिसमें वे आगे बढ़ने का अधिकार रखते थे तथा उनके साथ स्वेच्छया कुंद हथियारों से मारपीट कर उसे साधारण उपहतियां कारित की एवं उनको घोर उपहति कारित करने एवं धमकी देकर आपराधिक अभित्रास

किया?

(2) यदि हां, तो अभियुक्तगण किस दण्ड के पात्र है?

09– उपरोक्त विचारणीय बिन्दु को साबित करने हेतु प्रकरण में कुल 9 गवाहान परीक्षित हुए है। गवाह शांतिबाई प्रकरण की प्रार्थिया है, जिसके द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रदर्श पी–4 पर यह प्रकरण संस्थित हुआ है। इस संबंध में प्रार्थिया शांतिबाई **गवाह पी.ड.02** के रूप में परीक्षित हुई है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह भणावदा में थी, जहां अभियुक्तगण कारीबाई, मधुबाई व गुड्डीबाई तीनों आये और उसके माथे पड़े और उसके साथ मारपीट की। मुल्जिमान जमीन नहीं देने की बात करते हुये मारपीट कर रहे थे और उसे जान से मारने की धमकी देते हुये मारपीट कर रहे थे। सभी ने उसके साथ मिलकर मारपीट की। वक्त घटना उसका लड़का रोहित उसके साथ था, जिसने उसे छुड़ाया और उसके भाईयों को फोन किया। मारपीट से उसके शरीर पर जगह–जगह चोटें आयी, जिसका इस्तगासा प्रदर्श पी–4 उसने न्यायालय में पेश किया था, जिसकी चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–5, नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 व उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–2 है।

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसके लड़के रोहित ने परिवादिया के भाई को फोन करके बुलाया था। रोहित को भी अभियुक्तगण मारने के लिए दौड़े थे लेकिन उसके साथ मारपीट नहीं की। उसका भाई राजुलाल, देवीलाल, भंवरलाल सभी मौके पर थे, जो चले गये थे। घटना के बाद उसके लड़के ने फोन करके बुलाया था।

10– इसी क्रम में प्रकरण में चश्मदीद साक्षीगण के रूप में परीक्षित गवाह पी.ड. 6 मथुरीबाई व पी.ड. 07 श्रीमती रामकन्या को स्वयं अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उक्त दोनों साक्षीगण ने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करते हुये केवल कहासुनी होते देखने का कथन किय है। हालांकि गवाहान् ने रास्ते में जाते समय कारीबाई, मधु व गुड्डी का शांतिबाई के साथ आपस में लड़ाई–झगड़ा कर आपस में गाली–गलौच कर रहे होने का स्पष्ट कथन किया है।

11– इसके अतिरिक्त वाकियाती साक्षीगण के रूप में परीक्षित गवाह पी.ड. 3 देवीलाल, पी.ड. 4 राजु व पी.ड. 5 भंवरलाल ने अपने–अपने बयानों में मुख्यतः यह कथन किया है कि शांतिबाई ने उन्हें भणावदा बुलाया था, जिसका फोन रोहित ने किया था, जिस पर वे भणावदा गये थे। शांतिबाई के साथ लड़ाई–झगड़ा हुआ था, जिससे उसके शरीर पर चोटें आयी थी। मुल्जिमान कारीबाई, मधुबाई, गुड्डीबाई तीनों द्वारा मारपीट करने की बात शांतिबाई ने बताई थी और पुलिस ने आकर नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 बनाया था, जिस पर उनके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में गवाह देवीलाल ने घटना उसके सामने होना जबकि अन्य गवाह राजु व भंवरलाल ने घटना उनके समक्ष नहीं होना बताया है।

12– चिकित्सकीय साक्षी पी.ड. 1 डॉ. विनोद मीणा ने अपने बयानों में दिनांक 07.05.2024 जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में एम.ओ. के पद पर कार्यरत होना, उस दिन थाना हथुनिया की तहरीर प्रदर्श पी–1 प्राप्त होने पर आहता शांतिबाई के शरीर पर आयी चोटों का मुआयना करना और सभी चोटें कुंदाले से कारित होकर साधारण प्रकृति की होने का कथन किया है और स्वयं द्वारा चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–2 तैयार करना बताया। गवाह ने एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 होने का

भी कथन किया है।

13– इसी क्रम में गवाह पी.ड. 8 मनोहर सिंह ने बताया कि दिनांक 03.04.2024 को वह थाना हथुनिया पर कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन थाने के प्रकरण संख्या 61/2024 में अनुसंधान अधिकारी नरपालसिंह ने प्रार्थिया शांतिबाई का प्राप्त परिवाद एवं परिवाद पर की गई कार्यवाही के संबंध में रिकॉर्ड बाबत् तहरीर दी थी, जिस पर उसने एचएम क्राईम द्वारा प्रार्थिया शांतिबाई की थाने पर पेश रिपोर्ट की प्रतिलिपि व जाँच अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही इस्तगासा संख्या 17/2024 की प्रमाणित प्रतियां स्वयं द्वारा प्रमाणित कर उपलब्ध करवाई थी। कार्यवाही रिपोर्ट प्रदर्श पी–9, इस्तगासा प्रदर्श पी–10, सी.सी.टी.एन.एस. रपट नकल प्रदर्श पी–11 व तहरीर प्रदर्श पी–12 है।

14– अंत में प्रकरण के अनुसंधानकर्ता साक्षी पी.ड. 9 नरपाल सिंह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 30.06.2024 को वह थाना हथुनिया में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना हाजा के प्रकरण संख्या 61/2024 का अनुसंधान उसके जिम्मे किया गया, जिसका इस्तगासा प्रदर्श पी–4 व चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–5 है। दौराने अनुसंधान बयान प्रार्थिया व गवाहान् के उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये गये। प्रार्थी की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जो प्रदर्श पी–6 है। मजरूह शांतिबाई का चोट प्रतिवेदन, एक्स–रे प्लेट व एक्स–रे रिक्वीजीशन रिपोर्ट ली जाकर शामिल फाईल की गई। प्रार्थिया द्वारा पूर्व में पेश किये गये परिवाद की प्रतियां प्रदर्श पी–9 लगायत 11 प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई। सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 506/34 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित पाये जाने से पत्रावली एसएचओ को सुपुर्द की, जिन्होंने चालान न्यायालय में पेश किया।

15– इस प्रकार उपर्युक्त आयी समस्त साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन व विश्लेषण करें तो हस्तगत प्रकरण में परिवादिया/आहता शांतिबाई ने अपने परिवाद में अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट कर उसे साधारण उपहतियां कारित करने और उसे जान से मारने की धमकी देने का कथन किया है। इस संबंध में परिवादिया/आहता शांतिबाई ने अपने न्यायालय बयानों में स्पष्टतः यह जाहिर किया है कि मुल्जिमान ने उसके साथ मारपीट की और मारपीट जमीन नहीं देने की बात कहते हुये की थी और उसे जान से मारने की धमकी देते हुये मारपीट कर रहे थे। इस प्रकार परिवादिया शांतिबाई ने अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के संबंध में सुस्पष्ट कथन अपने न्यायालय बयानों में किये हैं। आहत साक्षी से किये गये प्रतिपरीक्षण का अवलोकन करें तो अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा आहत से ऐसा कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण वक्त घटना मौके पर मौजूद ही ना हो और उनके व परिवादी पक्ष के मध्य कोई लड़ाई–झगड़ा ही नहीं हुआ हो, बल्कि प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को आहता शांतिबाई ने स्वीकार किया है कि मधु व गुड्डी ने उसके साथ लातों–घुसों से मारपीट की थी। इसके अतिरिक्त परिवादिया शांतिबाई ने अपने परिवाद व बयानों में वक्त घटना उसके पुत्र रोहित का उसके साथ होना और उसे छुड़ाने और उसके भाईयों को फोन करने का कथन किया है। अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि उक्त रोहित नामक परिवादिया के पुत्र को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित ही नहीं करवाया गया है, जिस कारण अभियोजन कहानी संदिग्ध प्रतीत होती है। इस संबंध में

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि केवल मात्र परिवादिया के पुत्र रोहित को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित नहीं करवाये जाने से ही सम्पूर्ण अभियोजन कहानी दूषित नहीं हो जाती है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में परीक्षित वाकियाती साक्षीगण पी.ड. 3 देवीलाल, पी.ड. 4 राजु व पी.ड. 5 भंवरलाल, जो परिवादिया के भाई है, ने अपने–अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उन्हें रोहित ने फोन किया था, जिस पर वे भणावदा आये और वहाँ पर परिवादिया शांतिबाई ने मुल्जिमान द्वारा उसके साथ मारपीट करने की बात उन्हें बताई थी, जिस संबंध में अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा उक्त गवाहों से कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है, जिससे उक्त गवाहों के बयानों पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में परीक्षित चश्मदीद साक्षीगण पी.ड. 6 श्रीमती मथुरीबाई व पी.ड. 7 रामकन्या ने इस हद तक अभियोजन कहानी की ताईद की है कि अभियुक्त पक्ष द्वारा परिवादी पक्ष के साथ लड़ाई–झगड़ा व आपस में गाली–गलौच की जा रही थी। ऐसे में उक्त सभी चश्मदीद व वाकियाती साक्षीगण की साक्ष्य से एवं परिवादिया के कथनों से न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट हुआ है कि घटना की दिनांक को अभियुक्तगण द्वारा परिवादिया शांतिबाई का सदोष अवरूद्ध कर उसके साथ मारपीट की गई और गाली–गलौच करते हुये उसे घोर उपहति कारित करने की धमकी दी। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है की प्रकरण में परीक्षित गवाहों की मात्रा से नहीं वरन गवाहों की साक्ष्यों की गुणवत्ता मायने रखती है। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक निर्णय Vadivelu Thevar vs State of Madras** 1957 **SCR** 981, में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है की – As a general rule, a court can and may act on the testimony of a single witness though uncorroborated. One credible witness outweighs the testimony of number of other witness of indifferent character."

इसी क्रम में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय Shivaji Sahebrao Bobade vs State of Maharashtra** (1973) 2 **SCC** 793, **Namdeo vs State of Maharashtra** 2009(1) **SCC** (**CRI**) 773 में भी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया है की एकमात्र गवाह की वास्तविक साक्ष्य भी दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है। उपरोक्त सिद्धांत को **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में अपने न्यायिक निर्णय Ajai alias Ajju vs State of Uttar Pradesh** (**Criminal Appeal Nos** 598–600 **of** 2013 **decided on 15th February** 2023) में पुनः दोहराते हुए यह प्रतिपादित किया है की – "It is the discretion of the prosecution to lead as much evidence as is necessary for proving the charge. It is not the quantity of the witness but the quality of witnesses which matters."

हस्तगत प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से आहता शांतिबाई से की गयी जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जो उसकी साक्ष्य को खंडित करता हो अथवा उसकी सत्यता पर संदेह उत्पन्न करता हो।

16– आहता शांतिबाई के आयी चोटों की पुष्टि हेतु प्रकरण में चिकित्सकीय साक्षी पी.ड. 1 डॉ. विनोद मीणा के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने भी परिवादिया के शरीर पर साधारण प्रकृति की चोटें आने का कथन किया है। उक्त गवाह से किये गये प्रतिपरीक्षण में उपर्युक्त कथन अखण्डित रहे हैं, ऐसे में

आहता शांतिबाई के शरीर पर आयी साधारण चोटों की पुष्टि उपर्युक्त चिकित्सकीय साक्षी के बयानों से होती है।

17– इस प्रकार उपरोक्त समस्त गवाहन की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने साथ मिलकर दिनांक 04.05.2024 को करीब 11.30–12.00 बजे गाँव भणावदा में परिवादिया शांतिबाई को स्वेच्छया रोककर, उसका सदोष अवरोध कर उसे उस दिशा में आगे बढ़ने से रोका, जिसमें वह आगे बढ़ने का अधिकार रखती थी तथा उसके साथ स्वेच्छया कुंद हथियारों से मारपीट कर उसे साधारण उपहतियां कारित की एवं उसको घोर उपहति कारित करने एवं धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। अतः अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 341, 323, 506 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

18– परिणामस्वरूप अभियुक्तगण **01. श्रीमती कारीबाई पत्नी गबुर,** तत्समय उम्र–53 वर्ष, निवासी–भणावदा, पुलिस थाना–हथुनिया, जिला–प्रतापगढ़ (राज.) **02. श्रीमती मधु पत्नी मांगीलाल,** तत्समय उम्र–28 वर्ष, निवासी–भणावदा, पुलिस थाना–हथुनिया, जिला–प्रतापगढ़ (राज.) **03. श्रीमती गुड्डी पत्नी वरदीचंद,** तत्समय उम्र–26 वर्ष, निवासी–भणावदा, पुलिस थाना–हथुनिया, जिला–प्रतापगढ़ (राज.) को अंतर्गत **धारा 341, 323, 506 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता** के अपराध के आरोप में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

अभियुक्तगण के अन्वीक्षाकालीन प्रस्तुत जमानत–मुचलके नियमानुसार निरस्त किये जाते हैं।

(संयोगिता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़ (राज०)

–सजा के प्रश्न पर–

19– सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क है, कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण गरीब व्यक्ति है, जिन पर अपने सम्पूर्ण परिवार का दारोमदार है। अभियुक्तगण विगत करीब 2 वर्षों से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। परिवादी पक्ष व अभियुक्त पक्ष दोनों आपस में एक ही परिवार के सदस्य है, यदि अभियुक्तगण को कारावास से दण्डित किया जाता है तो उनके मध्य वैमस्यता बढ़ने की संभावना है। अतः अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

20– अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर रिहा किये जाने का विरोध किया तथा अभियुक्तगण को विधि अनुसार उचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

21– अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश से हैं। अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पत्रावली के अवलोकन से दर्शित नहीं होता है। अभियुक्तगण ने लगभग 2 वर्ष की अन्वीक्षा की अवधि भुगती है। अभियुक्तगण ने भविष्य में उक्त अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने का मौखिक वचन दिया है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय अभियुक्तगण को उक्त प्रकरण में परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित पाता है।

(दण्डादेश)

22– परिणामतः अभियुक्तगण 01. **श्रीमती कारीबाई पत्नी गबुर,** तत्समय उम्र–53 वर्ष, निवासी–भणावदा, पुलिस थाना–हथुनिया, जिला–प्रतापगढ़ (राज.) 02. **श्रीमती मधु पत्नी मांगीलाल,** तत्समय उम्र–28 वर्ष, निवासी–भणावदा, पुलिस थाना–हथुनिया, जिला–प्रतापगढ़ (राज.) **03. श्रीमती गुड्डी पत्नी वरदीचंद,** तत्समय उम्र–26 वर्ष, निवासी–भणावदा, पुलिस थाना–हथुनिया, जिला–प्रतापगढ़ (राज.) को दोषसिद्ध अपराध अन्तर्गत **धारा 341, 323, 506 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता** के आरोप में तुरन्त कारावास से दण्डित न किया जाकर परिवीक्षा अधिनियम की धारा–04 का लाभ इन शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है कि यदि अभियुक्तगण एक वर्ष के लिए दस–दस हजार रूपये के जमानत–मुचलके, इस शर्त के साथ कि वे इस अवधि में परिशांति व सदाचरण बनाये रखेंगे, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तथा न्यायालय द्वारा सजा भुगतने हेतु तलब करने पर न्यायालय में उपस्थित होंगे, इस न्यायालय के संतोषप्रद पेश कर तस्दीक करा देवें, तो उन्हें परिवीक्षा पर रिहा किया जावे। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत अभियोजन व्यय के रूप में 500–500/– रूपये (अक्षरे पाँच सौ–पाँच सौ रूपये) कुल 1,500/–रूपये (अक्षरे कुल एक हजार पाँच सौ रूपये) अधिरोपित किये जाते हैं।

23– प्रकरण में अपील होने की स्थिति में अभियुक्तगण को अपीलीय न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् अभियुक्तगण की ओर से धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत् राशि 10,000–10,000/– रूपये के जमानत–मुचलके पेश कर तस्दीक करवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अपील नहीं होने की स्थिति में उक्त जमानत–मुचलके 06 माह की अवधि के पश्चात् स्वतः निरस्त समझे जावें।

(संयोगिता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़ (राज०)

24– निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 10/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

Digitally signed by ROHIT SHARMA
Date: 2026.06.10 13:12:15 +0530

(संयोगिता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़ (राज०)